न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3389–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–6–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 616/बी–121/2013–14.

.....

सुधीर कुमार पाठक आत्मज स्व0रामचन्द्र पाठक
निवासी ग्राम डुडूगांव तहसील डोलरिया
जिला होशंगाबाद

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मुकेश प्रजापति आत्मज सीताराम प्रजापति
निवासी ग्राम डुडूगांव तहसील डोलरिया
जिला होशंगाबाद
2–मध्यप्रदेश शासन ..... अनावेदकगण

.....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–आवेदक

श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

श्री पी0एस0जादौन, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 2/3/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.6.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार डोलरिया जिला होशंगाबाद के समक्ष आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पत्र पर से तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 616/बी–121/13–14 दर्ज कर दिनांक 25–6–2015 से आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से शासकीय अतिक्रमण हटाये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों के आधार पर निराकरण करने की मॉग की गई । आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक को शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र पर बिना आवेदक को सूचना दिये ही आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) पूर्व में तहसीलदार द्वारा दिनांक 23–12–14 को उभयपक्ष की उपस्थिति में पानी निकासी उनके शंसाधन से कराये जाने के आदेश दिये गये थे । उक्त आदेश अंतिम होने के पश्चात् तहसीलदार को प्रश्नाधीन आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा यह देखा जाना चाहिये था कि पिछली बरसात में पानी का निकास सुगमता से हुआ अथवा नहीं । जब पानी की निकासी सुगमता से हो रही है तब तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्यायपूण्र है ।

4/ अनावेदक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी इसलिये शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश देने में तहसील न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ अनावेदक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय का आदेश विधिसंगत आदेश है इसलिये उनका आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रशासकीय निर्देश पूर्व आदेश का पालन कराने के संबंध में दिये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से तहसीलदार का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.6.2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर